

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मि०नं० 825/दावा/2017 उनवान शकूरन वेगम बनाम गीताबाई

19/03/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी को न्यायालय हाजा के निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 25.06.2018 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। अधिवक्ता वादी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

अतः न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.06.2018 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं० 2071-74 की खाता सं० 770 की ख०नं० 234/2538 रकबा 12.15 बीघा आराजी में से वादी के 5/6 हिस्से का विभाजन निम्नप्रकार किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादी :- शकूरन वेगम पत्नि हुसैन अली जाति पिंजारा तह० खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

ख०सं०	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा(बीघा)	दिशा
1	खानपुर	234/2538	10.12	पश्चिम
कुलयोग		1 किता	10.12	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। खाते पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस आशय की अंतिम डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दपतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाह
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 19/03/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाह
(राजस्थान)